## कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का किया निरीक्षण

**पन्ना, देशबन्धु।** कलेक्टर सुरेश कुमार ने गत गुरूवार को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यालय पन्ना का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान पुराने भवनों के संधारण और परिसंपत्तियों के संबंध में जानकारी लेकर अभिलेख को स्कैन उपरांत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अन्य कक्ष व शाखाओं का निरीक्षण कर अव्यवस्थित रिकार्ड व दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संधारित कर सूचीबद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने संपत्ति पंजी का अवलोकन कर कार्यालय परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कार्यपालन यंत्री जे.पी. सोनकर द्वारा जिला कलेक्टर को आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी अजय मिश्रा एवं संभागीय लेखा अधिकारी शैलेन्द्र बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे।

# मानपुर में तीन दिन बाद मिली चरवाहे की लाश

## नदी किनारे बकरी चराने गया था, तीन दिन तक किनारे पर बैठे रहे ग्रामीण

**उमरिया, देशबन्धु।** सोन नदी किनारे बकरी चराने गए चरवाहे की लाश एसडीआरफ ने तीन दिन बाद बरामद कर ली है। घटना उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के बल्हौड के काढ़ा घाट के पास की है। शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार आकाश नाम का चरवाहा 25 मार्च को बकरी चराने के लिए नदी किनारे गया था। जब वह देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। नदी के किनारे आकाश के कपड़े मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। आकाश के नदी में डूबने की खबर के बाद ग्रामीण नदी किनारे तीन तक बारी-बारी से बैठे रहे।

एसडीआरएफ की टीम तीन दिन से सोन नदी में शव तलाश रही थी।

मानपुर पुलिस ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया। 26 और 27 मार्च को भी नदी में लगातार तलाश जारी रही। स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मदद के लिए नदी किनारे पहुंचे। आकाश अपने पीछे परिवार में मां,पत्नी और दो बच्चो को छोड़ गया है। स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मदद के लिए नदी किनारे पहुंचे। तीन दिन की मशक्कत के बाद शुक्रवार को आकाश का शव नदी से बरामद कर लिया गया। मानपुर थाना प्रभारी मुकेश मर्सकोले के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

## सार-समाचार

### आम नागरिकों की सहभागिता से तैयार होगा विकसित मध्यप्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट

**पन्ना,देशबन्धु।** म.प्र. राज्य नीति आयोग द्वारा आम नागरिकों की सहभागिता से विकसित मध्यप्रदेश 2047 के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने एवं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित मध्यप्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समावेशी विकास को गति देने और नागरिकों की आकांक्षाओं को नीति निर्माण में शामिल करने के उद्देश्य से नागरिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। सर्वेक्षण के जरिए आमजन अपने विचार और सुझाव साझा कर सकेंगे। प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें भविष्य की विकास नीतियों में शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में सहभागिता के लिए आगामी 31 मार्च तक वेबसाइट एमपीआरएनए डॉट एमपी डॉट जीओव्ही डॉट इन/विजन लिंक पर जाकर अंग्रेजी या हिन्दी में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

### उमरिया स्वास्थ्य विभाग की जिप्सी सात साल से लापता

#### 2016 में तत्कालीन कलेक्टर ने मांगी थी गाड़ी, टीम ने शुरू की जांच

**उमरिया, देशबन्धु।** उमरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक जिप्सी गाड़ी पिछले 7 सालों से लापता है। यह गाड़ी संचालनालय से 2000 में विभाग को मिली थी। जिप्सी का नंबर एमपी 02 1076 है।सीएमएचओ एस बी चौधरी ने बताया कि 2016 में तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आरके सिंह से जिप्सी की मांग की थी। उसके बाद से यह गाड़ी विभाग को वापस नहीं मिली।

**संचालित सभी वाहनों की हो रही लिस्टिंग**

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग अपनी गाड़ियों की जानकारी जुटा रहा है। चौधरी ने बताया कि इस मामले में वर्तमान कलेक्टर स्वारोचिष सोमवंशी से बात हुई है। कलेक्टर का कहना है कि गाड़ी उमरिया में ही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित सभी वाहनों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही लापता जिप्सी की तलाश और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।

### तहसील कार्यालय में दलालों का बोलबाला

**ब्यौहारी, देशबन्धु।** ब्यौहारी-तहसील कार्यालय व्यवहारी में दलालों का अड्डा बन गया है लोगों को काम कराने के लिए पहले दलालों से संपर्क करना पड़ता है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुड़बा कोर्ट आखेटपुर सर्किल एवं व्यवहारी सर्किल तीनों में ही कुछ ऐसे लोग अधिकारियों के खास बनै हुये हैं जो की तहसील के कर्मचारी तक नहीं है उनके द्वारा नोट सीट तक लिखी जा रही है और मनमानी वसूली कराई जा रही है जिससे आने वाले काश्तकार काफी परेशान है क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर से तहसील व्यवहारी से दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

### आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण के साथ होगी पढ़ाई

**ब्यौहारी, देशबन्धु।** ब्यौहारी-विकाखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रथम बैच तीन दिवसीय प्रशिक्षण का संपन्न हुआ। इस बैच में 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी अंतर्गत आधारशिला एवं नौ चेतन को आंगनबाड़ी केंद्र में क्रियान्वित करने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बच के अंतिम दिवस में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास मनोहर लरोकर द्वारा आधारशिला के संबंध में तीन से 6 वर्ष के बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के लिए भारत सरकार एवं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया करिकुलम है के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही नवचेतना अंतर्गत शून्य से 3 वर्ष के बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड स्टीम्यूलेश की गतिविधियों का संग्रह के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

### भविष्य से भेंट कार्यक्रम दो अप्रैल को

**बालाघाट, देशबन्धु।** मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक विद्यालयों में दिवस वार कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश दिए गए है। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा जिले में 02 अप्रैल को भविष्य से भेंट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

## संबल योजना अंतर्गत 10 करोड़ 62 लाख रूपए की अनुग्रह राशि अंतरित

**पन्ना, देशबन्धु।** मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना अंतर्गत शुक्रवार को पन्ना जिले के 499 प्रकरणों में हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का वितरण किया गया। जिला अंतर्गत 10 स्थानीय निकायों में कुल 10 करोड़ 62 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई। पन्ना विकासखण्ड में सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु के क्रमशः 55 एवं 4, शाहनगर विकासखण्ड के 103 एवं 7, गुनौर विकासखण्ड के 61 एवं 10, अजयगढ़ विकासखण्ड के 73 एवं 2 तथा पवई विकासखण्ड के सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु के क्रमशः 149 एवं 9 प्रकरणों में अनुग्रह राशि का वितरण किया गया। इसके अलावा सामान्य मृत्यु प्रकरणों में नगरीय क्षेत्र पन्ना में 9, देवेन्द्रनगर में 6, पवई में 5 तथा अमानगंज एवं अजयगढ़ में 3-3 प्रकरणों में अनुग्रह राशि का वितरण किया गया। योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपए एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपए की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय से श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित की। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी व्हीसी कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया। कलेक्टर सुरेश कुमार एवं नपा अध्यक्ष मीना पाण्डेय द्वारा हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, श्रम निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह बंजारा सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा हितग्राही उपस्थित रहे।

## सीएचसी खैरलांजी का सीएमएचओ ने किया निरीक्षण

**बालाघाट, देशबन्धु।** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप द्वारा शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी का रात्रि कालीन आकस्मिक निरीक्षण कर सुविधाओ का जायजा लिया गया। इस दौरान खामियाँ मिलने पर सीएमएचओ डॉ. उपलप ने बीएमओ को तत्काल कमिया दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीबीएमओ डॉ. खिलेन्द्र पाल नागेंद्र एवं डीईआईसी प्रबंधक राजाराम चक्रवर्ती उपस्थित रहें। सीएमएचओ डॉ. उपलप ने मरीजों से भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई। सीएमएचओ डॉ. उपलप ने शिविर में बीईई की ड्यूटी शिविर के काम में लगाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से न छुटे सभी का फॉलो अप शिविर में किया जाए।

## ई-दक्ष केंद्र में सुशासन विषय पर हुआ अधिकारियों का प्रशिक्षण

**पन्ना, देशबन्धु।** भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय दिल्ली के सहयोग एवं प्रशासनिक अकादमी भोपाल द्वारा स्थापित सर्वोत्तम प्रकोष्ठ के अंतर्गत नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित ई-दक्ष केंद्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 27 एवं 28 मार्च को आयोजित प्रशिक्षण में सुशासन विषय पर केन्द्रित लोक सेवा गारंटी एक्ट, सीएम हेल्पलाइन, सीपी ग्राम एवं शिकायत निवारण प्रणाली के लिए सूचना

प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण लोकसेवा प्रबंधन विभाग के जिला प्रबंधक पंकज शिवहरे एवं ई-दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक वैभव सोनी द्वारा दिया गया।

प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी एक्ट के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नागरिकों को समय सीमा के भीतर सेवाओं के प्रदान करने तथा समाधान ऑनलाइन जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण, गुणवत्तापूर्वक एवं त्वरित निराकरण के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को जिला कमांड कंट्रोल सेंटर की विजिट भी कराई गई, जिसमें कॉल सेंटर से संबंधित प्रणाली के बारे में समझाया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संबंधितों को कार्यालयीन कार्य प्रणाली में सुशासन के महत्व हेतु प्रेरित करना था, जिसका लाभ सभी आम नागरिकों को मिल सके।

### बोरियों में भरा 750 किलो महुआ लाहन जब्त

**बालाघाट, देशबन्धु।** मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी है। शुक्रवार को आबकारी वृत बालाघाट द्वारा ग्राम खपराझरी के जंगल में नाला एवं तालाब किनारे अलग अलग स्थानों पर बोरियों में भरा हुआ लगभग 750 किलो लाहन जप्त कर 02 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया। वहीं सेम्पल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 75000 रूपये बताया गया है। इस कार्यवाही मे वृत प्रभारी, उपनिरीक्षक रमाकांत बघेल आरक्षक सुरेंद्र गजभिए, लखन चौधरी, आरिफ खान चिंतामणी उपस्थित रहे।

## गोवंश व अवैध शराब परिवहन के मामलों में सात वाहन राजसात करने के आदेश

**बालाघाट, देशबन्धु।** कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री मृणाल मीना ने गौवंश व अवैध शराब परिवहन के 7 मामलों में 1 पिकअप व 1 बोलेरो सहित 05 दोपहिया वाहनों को राजसात करने के निर्णय 27 मार्च को सुनाए है।

इसमें 5 आबकारी अधिनियम और 02 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत उपयोग में लाये वाहनों को राजसात करने के आदेश किये है। मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 व 5/9 के तहत आदेश किया गया है। 29 नवंबर 2024 को सलमान शेख पिता अब्दुल अजीज द्वारा स्कूटी से 32 किलो 500 ग्राम गौमांस का परिवहन करते वारासिवनी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। मामला वारासिवनी थाने में पंजीबद्ध किया गया।

जिला दंडाधिकारी श्री मीना ने गौमांस का परिवहन करने पर स्कूटी वाहन क्रमांक एमपी -50-जेबी-6524 को राजसात करने के आदेश 27 मार्च को किये है। इसी तरह थाना वारासिवनी के ही एक अन्य प्रकरण में कृष्णकुमार भगत को पिकअप वाहन टाटा एस क्र. एमएच - 16-सीसी -1837 में अवैध रूप से 3 नग मवेशियों (गौवंश) को परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। अवैध परिवहन करने वाले पिकअप वाहन को राजसात करने के आदेश 27 मार्च को ही किया गया है।

इसके अलावा थाना किरनापुर अंतर्गत आबकारी प्रतिषेध अधिनियम के तहत वाहन क्रमांक एमपी-50-टी - 0905 व एमपी-50 टी- एमएम 9137 को, थाना कटंगी अंतर्गत वाहन क्रमांक एमपी -31-एल - 922 तथा एक वाहन थाना लालबर्रा अंतर्गत एमपी-50-एमपी 4611और रामपायली थाना के अंतर्गत वाहन क्रमांक एमपी-50-जेडए-2725 को आबकारी अधिनियम के तहत जप्त कर राजसात किया गया है। आबकारी अधिनियम में अवैध परिवहन के मामले में जप्तशुदा वाहनों में दो पहिया वाहनों में 04 मोटर साइकिल व 01 बोलेरो वाहन शामिल है।

# प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं से संवर रहा पीड़ितों का जीवन

## जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना में 20 व 436 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर मिला 2-2 लाख रुपए का क्लेम

**बालाघाट, देशबन्धु।** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना से जिले के बैंक खाताधारकों को बड़ी संख्याम में बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया गया है। ये बीमा योजनाएं बैंक खाता धारकों के खाते से ही संचालित होती हैं। लीड बैंक मैनेजर श्री संजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान में सबसे आसान बीमा योजनाएं खातों के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना संचालित है। इनमें किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से सीधे प्रीमियम कटती है। सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये सालाना, जीवन ज्योति बीमा में 436 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम बैंक द्वारा कांटी जाती है। इन दोनों बीमा योजनाओं में दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपये और जीवन ज्योति में किसी भी कारण से मृत्यु पर होने पर 2 लाख रुपये का क्लेम बैंक द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कम आय वाले खाताधारकों के लिए अटल पेंशन योजना संचालित है। इस

योजना में मासिक, त्रैमासिक व छ्माही प्रीमियम पर 1 हजार से 5 हजार तक 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन प्रदाय होती है। जिले में इन योजनाओं के कई प्रकरणो में बीमा राशि प्रदान की गई है। लीड बैंक मैनेजर से प्राप्तर जानकारी के अनुसार स्टैमट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 99 प्रकरणों में 78 जीवन ज्योरति बीमा के व 21 सुरक्षा बीमा के तथा मप्र ग्रामीण बैंक द्वारा 69 प्रकरणों में 62 मप्र ग्रामीण बैंक जीवन ज्योनति के 07 सुरक्षा बीमा के प्रकरणों में भुगतान किया गया है।

**सुपुत्री की मृत्यु पर पिता को मिला बीमा क्लेम**-नगर में भिखारी मोहल्ले के इंदरलाल गुप्ता 27 वर्ष की आयु से ही नगर की स्कूलों व मोहल्लों में ठेला लगाकर कभी चाट तो कभी सब्जी भाजी बेंचकर अपना और अपनी 5 संतानों का गुजारा करते थे। ऐसा वे करीब 30 वर्षो तक करते रहे। अब वे कपड़े की दुकान बनाकर कमाई का जरिया बना पाए है। इंदरलाल अब 70 वर्ष के है और इस साल अपनी 40 वर्षीय लाड़ली पिंकी की अचानक मृत्यु से शोकग्रस्त है। इंदरलाल ने मप्र ग्रामीण बैंक में सुपत्री का बैंक खाता खुलवाया हुआ था, जिससे जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये की प्रीमियम काटी जाती थी। विकलांग व मानसिक रोगी पिंकी की मृत्यु 20 अक्टूबर 2024 को हुई, लेकिन पिता को इस बात का संशय था कि राशि मिलेगी या नहीं ? लेकिन बैंक द्वारा क्लेम कंपनी को प्रकरण भेजा गया। नॉमिनी में रूप में पिता इंदरलाल को बैंक द्वारा एक माह के भीतर ही 2 लाख रुपये का क्लेम दिया गया।

**नदी में डूबने से मृत्यु पर पत्नी को सुरक्षा बीमा के दो लाख रुपये मिले**-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में श्री जग्गू रावते ने बैंक खाते के द्वारा 20 रुपये की प्रीमियम काटी जाती थी। अचानक दुर्भाग्य से जग्गू की नदी में डूबने से मृत्यु हुई तो पत्नी श्रीमती बिंदेश्वरी रावते पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ऐसी स्थिति में बिंदेश्वरी ने बैंक से संपर्क किया। बैंक द्वारा न्यू इंडिया इंसोरेंस कंपनी को प्रकरण भेजा गया। बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकारा गया। मृतक की नॉमिनी पत्नी बिंदेश्वरी को बीमा क्लेम 2 लाख रुपये प्रदान किये गए।

**ये है बीमा योजना**-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से सुरक्षा 18 से 70 वर्ष से खाताधारकों के लिए उपलब्धर है। इस योजना में मात्र 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण अक्षमता कवर प्रदाय किया जाता हे। साथ ही स्थाीयी आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपये का लाभ तथा प्रीमियम सीधे बैंक खातें से ऑटो-डेबिट होता है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योमति बीमा योजना 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। जिसमें 436 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर एवं हर साल नवीनीकरण की सुविधा भी उपलब्धो है जिससे लगातार सुविधा मिलती है। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना जो कि बुढापे की चिंता खत्मध करती है। इसमें मासिक, त्रैमासिक व छ्माही पेंशन काटी जाती है।